Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 79 /2018

Rajina Tuddu @ Rajina Soren ..... Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत भूमि विवाद अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–08/2016–17 में दिनांक–26.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद किशनगंज जिले के अंचल ठाकुरगंज मौजा–चुरली, खाता सं0–248, खेसरा नं0–4837, रकवा–1.02 डी0 जमीन से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि बेनजामीन सोरेन के नाम से बिहार सरकार द्वारा बन्दोबस्ती की गई है तथा इनके नाम से बंदोबस्ती परवाना निर्गत किया गया है। बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती की जमीन पर खास दखलकार होकर बिहार सरकार को लगान भुगतान कर भोग करते चले आ रहे थे। बेनजामीन सोरेन की पत्नी अनिता हाँसदा अपनी एक मात्र पुत्री अपीलकर्त्ता को छोड़कर गंगा लाभ कर गई। बाद में बेनजामीन सोरेन अपीलकर्त्ता को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। बेनजामीन सोरेन की मृत्युपरांत उनके द्वारा छोड़े गये चल–अचल संपत्ति का एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलकर्त्ता हुई और अपीलकर्त्ता उपरोक्त जमीन पर खास दखलकार होकर साथ ही बिहार सरकार को लगान भुगतान कर भोग करती चली आ रही है। अंचल पदाधिकारी, ठाकुरगंज बिना स्थल निरीक्षण किये और बिना किसी स्थानीय लोगों का साक्ष्य लिए एक पक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किये। उस त्रुटिपूर्ण आवेदन को आधार मानकर विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण सं0–08/2016–17 में दिनांक–26.05.	

Web Copy Not Official.

	लगातार 19.07.2023	2018 को आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता क्रमशः का यह भी कथन है कि अंचल पदाधिकारी, ठाकुरगंज ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षीगण बन्दोबस्तदार की पत्नी विलास मरांडी का भाई है। जीजा के संपत्ति में साला का हक नहीं होता है। बेनजामीन सोरेन अपनी पुत्री–रजीना सोरेन उर्फ रजीना टुडू को छोड़कर मर गये। उनकी मृत्यु उपरांत अपीलार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी है जो उपरोक्त जमीन का लगान भुगतान करती चली आ रही है। लगान रसीद में देहंता अपीलार्थी उक्त जमीन का सरकार को लगान अदा करती आ रही है। लगान रसीद में देहंदा के रूप में रजीना सोरेन का नाम अंकित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज ने अपने आदेश दिनांक–26.05.2018 में गलत होल्ड किये हैं कि आवेदिका पहले अपने उत्तराधिकारी का विनिश्चय सक्षम प्राधिकार से करा ले। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्त्ता के नाम से निर्गत आधार कार्ड में पिता का नाम बेनजामीन अंकित है जो दर्शाता है कि अपीलकर्त्ता ही बेनजामीन सोरेन का एकमात्र उत्तराधिकारी है। विद्वान उप समाहर्त्ता, किशनगंज किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं लिये हैं जबकि बिहार भूमि विवाद निराकरण 2009 के धारा 13 के उपधारा–6 में साक्ष्य लेने का प्रावधान है। बेनजामीन सोरेन बिलास मरांडी से कभी कोई शादी नहीं किये थे और अनिता सोरेन उनकी पुत्री नहीं है। अनिता सोरेन के पिता का नाम साह मुर्मु है जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। विपक्षीगण/उत्तरवादीगण बेनजामीन सोरेन के उत्तराधिकारी है। इस बिंदु से संबंधित कोई कागजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल पदाधिकारी, ठाकुरगंज ने उत्तरवादी के प्रभाव से प्रभावित होकर एक पक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन अपने पत्रांक1620/14.02.16 द्वारा समर्पित किया है। उक्त त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन को आधार मानकर विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, किशनगंज ने बिहार भूमि निराकरण वाद सं0–08/16–17(रजीना टुडु बनाम कृष्णा मरांडी एवं अन्य) में दिनांक 26.05.16 को आदेश पारित किये हैं। उक्त आदेश को विखंडित करने की कृपा की जाय। दूसरी तरफ उत्तरवादीगण का कहना है कि जो जमीन	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 19.07.2023	बेनजामीन सोरेन नामक व्यक्ति को सरकार द्वारा बंदोबस्ती वाद सं0–06/85–86 के द्वारा बंदोबस्ती की जमीन है। जिसका लगान बेनजामीन सोरेन अपने जीवनकाल तक जमाबंदी सं0–196 के अंतर्गत क्रमशः सरकार को भुगतान करते थे। बेनजामीन सोरेन की मृत्यु उपरांत उत्तरवादी सं0–02 बिलास मरांडी एवं बेनजामीन सोरेन से उत्पन्न एकमात्र एकलौती पुत्री अनीता सोरेन जिसका आधार कार्ड सं0–351960344977 है के द्वारा भुगतान किया जा रहा है और लगान वर्ष 2016–17 तक भुगतान किया जा चुका है। रजीना टुडु जो इस वाद के प्रथम पक्ष/रिविजिनिस्ट है विपक्षी के जमीन पर षड्यंत्र के तहत हड़पना चाहती है। रजीना टुडु के संबंध में उत्तरवादी का यह भी कहना है कि रजीना टुडु की माँ अनीता हँसदा थी जिसका विवाह लखीन टुडु नाम के व्यक्ति से हुआ था। लखीन टुडु एवं अनीता हँसदा से एक पुत्री रजीना टुडु हुई जो इस वाद के आवेदिका है। उत्तरवादी का कहना है कि प्रश्नाधीन जमीन के बंदोबस्तधारी बेनजामीन सोरेन के साथ पति–पत्नी के तरह रहने लगा परंतु बेनजामीन सोरेन से अनिता हँसदा को कोई संतान नहीं हुआ। अनिता हँसदा अपने पीछे पुत्री रजीना टुडु पति लखीन टुडु तथा बेनजामीन सोरेन को छोड़कर मर गया। इस वाद के प्रश्नाधीन जमीन के बंदोबस्तधारी बेनजामीन सोरेन अनिता हँसदा के मरणोपरांत इस वाद के उत्तरवादी सं0–02 बिलास मरांडी से विवाह किया। बिलास मरांडी तथा बेनजामीन सोरेन से एक पुत्री अनिता सोरेन उत्पन्न हुई जिसका आधार कार्ड सं0–351960344977 है। बेनजामीन सोरेन के मृत्युपरांत इस वाद के प्रश्नाधीन जमीन को उत्तरवादी सं0–02 बिलास मरांडी अपने सगा भाई कृष्णा से सहयोग लेकर जमीन का जोत अबाद करती आ रही है। बिलास मरांडी वर्ष 2007 में अपनी पुत्री अनिता सोरेने को अपने भाई कृष्ण मरांडी के जिम्मे लगाकर शाह मुर्मू से विवाह कर लिया। बिलास मरांडी के पहले पति बेनजामीन सोरेन से उत्पन्न संतान अनिता सोरेन अपने मामा कृष्ण मरांडी जो इस वाद के उत्तरवादी सं0–01 है के साथ रहती है। अनिता सोरेन अपने पिता से विरासतन संपत्ति जो इस वाद के प्रश्नाधीन जमीन है वर्त्तमान तिथि तक दखलकार है तथा अपने मामा कृष्ण मरांडी के सहयोग से खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन करती	

Web Copy. Not Official.

		है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विधान सभा निर्वाचन नामावली ठाकुरगंज के मतदाता सूची के क्रम सं0–129 का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि रंजीना टुडु शंभुरल किस्कू दर्ज है जिनका मतदाता कार्ड सं0–BJY4838967 दर्ज है। मतदाता सूची में पति के नाम जुड़ने से पहले पुराने मतदाता सूची में रंजीना टुडु के पिता के नाम के स्थान पर क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	लखीन टुडु दर्ज है। रंजीना टुडु के राशन कार्ड में पिता के नाम के स्थान पर लखीन टुडु दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वंशावली में बेनजामीन सोरेन के एकमात्र पुत्री अनिता सोरेन रहने के कारण पंचायत चुरली के सरपंच ने भी 04.11.18 का अपना हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर वंशावली के सही होने का समर्थन किये हैं। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अंचल से जाँच प्रतिवेदन की माँग की थी जिसमें अंचलाधिकारी ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिये थे। तत्पश्चात् विद्वान भूमि सुधार ने अपीलार्थी के BLDR के वाद को अस्वीकृत किये हैं। उत्तरवादी ने आयुक्त महोदय से स्वयं स्थानीय एवं स्थलीय जाँच की माँग की है तथा सही पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए इस वाद को खर्च सहित खारिज करने की माँग की है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि स्व0 बेंजामिन सोरेन को बंदोबस्ती वाद सं0–06/1985–86 से प्राप्त है एवं इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–196 दर्ज है। बंदोबस्तदार की मृत्यु हो चुकी है। बंदोबस्तदार स्व0 बेंजामिन सोरेन द्वारा अपने जीवनकाल में कई वैवाहिक संबंध बनाये एवं उनसे उत्पन्न संतानों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है। बंदोबस्तकार ने अंत में उत्तरवादी सं0–01 की बहन विलास मरांडी उर्फ हपई से वैवाहिक संबंध कायम किया जिससे एक पुत्री अनिता सोरेन हैं। बंदोबस्तदार की मृत्युपरांत उनकी पत्नी विलास मरांडी उर्फ हपई ने पुनः दूसरी शादी कर ली। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी सं0–01 का दखल–कब्जा प्रतिवेदित है। वस्तुतः संपूर्ण विवाद उत्तराधिकार से संबंधित है जिसका विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा	

WebCopy. Not Official.

		पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.